सत्यमेव जयते

फाइल संख्या- Review/01/JH(Khunti)/2024-Coord.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा झारखंड राज्य के खूंटी जिले में दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण, कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट ।

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी), नई दिल्ली की झारखंड राज्य के खूंटी जिले में 01 जुलाई 2024 को अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षण, कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की रिपोर्ट।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत की माननीया राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है।

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, एनसीएसटी की दौरे की शुरुआत खूंटी जिले के अर्की ब्लॉक के उलिहातु गांव में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल में उनको श्रद्धांजलि से हुई जहां उन्होंने पुष्पांजलि और पूजा समारोह में भाग लिया। इसके बाद, उलिहातु में बिरसा मुंडा पुस्तकालय में सामुदायिक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक 1: अनुसूचित जनजाति समुदाय के साथ बिरसा मुंडा पुस्तकालय, उलिहातु, खूंटी (झारखंड) में बैठक।

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां उपस्थित लोगों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एनसीएसटी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एनसीएसटी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एसटी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पर प्रकाश डाला और सुनिश्चित

किया कि एसटी समुदाय अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

चित्र 1: डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, एनसीएसटी उलिहातु गांव में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए।

बैठक के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदाय ने कई चिंताएं उठाई। सबसे प्रमुख मुद्दा जल जीवन मिशन (जे जे एम) के तहत क्षेत्र के पानी की गंभीर कमी पर प्रकाश डाला और आयोग को बताया गया कि पाइप बिछाएं गए हैं लेकिन अभी तक पानी की आपूर्ति शुरु नहीं की गई है। इसके अलावा, यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के कई सदस्य जॉब कार्ड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एम जी एन आर ई जी ए) के बारे में नहीं जानते हैं। आयोग को वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और विधवाओं के पेंशन और नवीनीकरण न करने से संबंधित मुद्दे भी संज्ञान में आया।

आयोग ने दिनांक 11 जुलाई 2024 को (गुरुवार) उलिहातु गांव, खूंटी में जागरुकता शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव किया। इस जागरुकता शिविर में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजाति को जागरुक करने के लिए सभी जिला विभागों को शामिल किया जा सकता है। जागरुकता शिविर में लोगों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी शामिल किया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि
3 उलिहातु गांव के लोगों को इस जागरुकता शिविर के बारे में पहले ही सूचित किया जाए।

बैठक 2: अनुसूचित जनजाति कल्याण एशोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ सर्किट हाउस, खूंटी में बैठक।

दूसरी बैठक सर्किट हाउस, खूंटी में हुई जहां सभी छ: ब्लॉकों के अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिका आयोग को सौंपा गया। चर्चा के दौरान, डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने एसटी समुदाय के सदस्यों और एसटी संघों के प्रतिनिधियों को एनसीएसटीग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते हैं। उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।

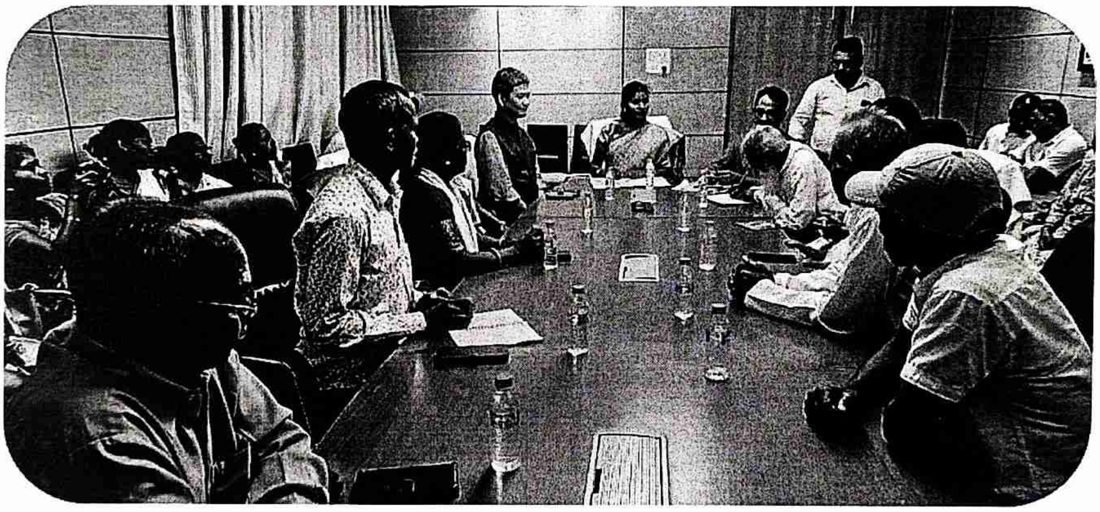

चित्र 2: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दों की पहचान की गई जो निम्नानुसार हैं-

1. **सिरुम गाँव में सड़कों का अभाव:** लंडूप पंचायत के सिरुम गाँव में अपर्याप्त सड़क अवसंरचना के मुददे पर चर्चा की गई। **यह सिफ़ारिश की गयी कि जिला प्रशासन इस**

क्षेत्र में सड़क संपर्क के विकास को प्राथमिकता देगा ताकि निवासियों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और संपर्क में सुधार हो सके।

2. **केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। । **जिला प्रशासन को मौजदा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा करनी चाहिए और किसी भी बाधा को दूर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ये योजनाएं समय पर और कुशल तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सकें।**

3. **बालिकाओं के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन:** बालिकाओं के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। **यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासन निवासियों की सुरक्षा, कल्याण और उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और कुशल प्रबंधन का कार्य करे। छात्रावास प्रबंधन के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।**

4. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति चिंता के विषय है। शिक्षा विभाग को वर्तमान नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

5. **अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा:** अन्य जिलों में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।

बैठक 3: अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए खूंटी जिला प्रशासन के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 01.07.2024 को डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा की गई बैठक का कार्यवृत्त।

आरंभ में उपायुक्त ने डॉ. आशा लाकड़ा, माननीया सदस्य, श्री के. ताऊथांग, संयुक्त सचिव, एनसीएसटी और एनसीएसटी के अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने खूंटी जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि वे यें वांछित उद्देश्यों को पूरा करें और जिले में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभ पहुँचते हुये उनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

चित्र 3: कलेक्टरेट, खूंटी, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकासात्मक और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन, खूंटी के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ जिला समीक्षा बैठक।

अवलोकन और सिफारिश-

खूंटी जिले के उपायुक्त को 57 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषय को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। निम्नलिखित टिप्पणियाँ और सिफारिशें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के साथ-साथ इन प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं। प्रश्नावली में प्रश्नों की क्रम-संख्या निम्नलिखित अनुभागों के बिंदु आधारित संदर्भ के अनुरूप हैं।

1. आयोग को प्रश्नावली के जवाब के माध्यम से बताया गया कि खूंटी जिले की कुल जनसंख्या 531885 है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 389626 है जो कुल आबादी का 73.25% है। जिले के 1,03,700 परिवारों में से एसटी समुदाय के परिवारों की संख्या 74,086 है। इसमें एसटी समुदाय के कुल 71.44% परिवार शामिल हैं।

1.1. बिंदु संख्या 3 के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति आबादी की साक्षरता दर सामान्य श्रेणी से 11.63% कम है। यह सिफ़ारिश की जाती है कि जिला प्रशासन इस अंतराल को समाप्त करने के लिए लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमों और पहलों को कार्यान्वित करें। एसटी समुदायों के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता अभियानों पर विशेष जोर दिया जाए।

1.2. बिंदु संख्या 6 के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर 5.15% है, जो सामान्य श्रेणी की जनसंख्या के दर से 0.45% अधिक है। जिला प्रशासन को विद्यालय छोड़ने की इस उच्च दर के कारणों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निरंतर उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों जैसे उपायों को लागू करना चाहिए।

1.3. बिंदु संख्या 8 के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में मिडिल विद्यालय स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर सामान्य श्रेणी (0.70%) की तुलना में 8.03% है। जिले के अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे मिडिल विद्यालय में छात्रों की नियमित उपस्थिती बनाए रखने और नामांकित रखने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियों और शैक्षणिक सहायता जैसी सहायता प्रणाली विकसित करें।

1.4. बिंदु संख्या 9 के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में उच्च विद्यालय स्तर पर विद्यालय छोड़ने की दर सामान्य श्रेणी (1.16%) की तुलना में 20.31% है। जिला प्रशासन इस चिंताजनक असमानता को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप लागू कर सकता है, जिसमें एसटी छात्रों को उच्च विद्यालय शिक्षा के माध्यम से सहायता देने के लिए कैरियर परामर्श, वित्तीय सहायता और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

1.5. शिक्षा विभाग शिक्षकों की समय की पाबंदी की जांच कर सकता है और संकुल-स्तर पर पाठ्येत्तर गतिविधियां आयोजित कर विद्यार्थियों की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक शिक्षा को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा एक क्षमता-निर्माण कार्यशाला भी शामिल किया जा सकता है। उनके बीच स्थानीय बोलियों/भाषा को विकसित करने के लिए शिक्षकों के लिए एक संवेदीकरण कार्यशाला भी आयोजित की जा सकती है। विभाग राज्य के न्यूनतम वेतन के अनुपालन में आंशक़ालिन शिक्षकों के लिए कक्षाओं की न्यूनतम अवधि सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभाग को लिख सकता है।

2. बिंदु संख्या 10 के संदर्भ में एसटी के कल्याण हेतु संचालित 19 छात्रावासों में उच्च विद्यालय छात्रावास के कुल 1075 स्वीकृत सीट में से रहने वालों की संख्या 233 (21.67%) महाविद्यालय स्तर के छात्रावास में कुल 350 स्वीकृत सीट में से रहने वालों की संख्या 212 (60.57%) है। जिले के प्राधिकारी कम रहने वाले के कारणों की जांच करें और अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए छात्रावास में सुविधाओं की बढ़ोत्तरी करें। इसके अतिरिक्त, इन छात्रावासों की उपलब्धता और इनकी सुविधाएं के संबंध में जागरूकता अभियान चलाकर छात्रावासियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

3. सामाजिक कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों की सूची भेज सकता है। विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के बीच जागरूकता और उनकी पहचान के लिए घर-घर (डोर-टू-डोर) अभियान भी चला सकती है। विभाग वर्ष 2023-24 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एसटी लाभार्थियों की अलग सूची प्रस्तुत कर सकती है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि जिले में

सभी एसटी बालिकाओं के छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त छात्राओं के छात्रावास में वार्डन की उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली सहित पिछले एक वर्ष की उनकी उपस्थिति के बारे में आयोग को सूचित किया जान चाहिए।

4. बिंदु संख्या 19 के संदर्भ में उत्तर में खूंटी जिले में भूमिहीन कृषकों की संख्या स्पष्ट नहीं है। जिला प्रशासन को पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण सर्वे आयोजित करने और इसकी सूचना आयोग को साझा करने सलाह दी जाती है।

4.1. इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन पट्टा आवंटन के लिए प्राप्त एफआरए आवेदन/दावे की व्यक्तिगत और समुदायवार अलग-अलग संख्या के बारे में आयोग को लिखित रूप में सूचित कर सकता है। पात्र व्यक्तियों/समुदायवार संख्या और उन्हें स्वीकृत आवंटन (हेक्टेयर में) के साथ साथ अपात्र दावों की सूची सहित ऐसी अपात्रता का आधार के साथ-साथ उनके द्वारा अपील, यदि कोई हो, तो आयोग को सूचित किया जा सकता है। स्वीकृत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों (सीएफआरआर) की सूची भी आयोग को प्रस्तुत की जा सकती है।

5. बिंदु संख्या 23 के संदर्भ में, कुशल और अकुशल श्रेणियों में व्यक्तियों की दर्शाई गई संख्या बाकी श्रेणियों से काफी कम है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए आउटरीच गतिविधियों की कमी हो सकता है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि संबंधित विभाग द्वारा लगातार आउटरीच गतिविधियां सुनिश्चित की जाए और ई-श्रम एवं राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) जैसे सरकारी पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जाए।

5.1 श्रम संसाधन विभाग कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और विभाग की योजनाओं के साथ कुशल / अर्ध-कुशल और अकुशल अनुसूचित जनजातियों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए जिला परिषद और मुखिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर सकता है। यह भी सिफारिश किया जाता है कि चूड़ियाँ बनाने के लिए लाह की खेती करने वाले एसटी समुदाय की आजीविका के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए और विभाग निकटवर्ती बाजार में उत्पाद को अग्रेषित करने की सुविधा भी प्रदान कर सकता है।

6. बिंदु संख्या 25 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (एसटी) के तहत लाभार्थी लक्ष्य से पीछे है। वित्तीय वर्ष के तीन माह के बाद भी शून्य

उपलब्धि चिंता का विषय है। यह एक चिंता का विषय है। जिला प्रशासन निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी ला सकता है।

7. बिंदु संख्या 27 के संदर्भ में, खूंटी जिले में उचित जल निकासी सुविधाओं, शौचालयों आदि के बिना एसटी बस्तियों की संख्या 9291 है। जिला प्रशासन इन बुनियादी सुविधाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए एक रोड मैप विकसित कर सकता है।

8. बिंदु 36 के संदर्भ में, पोर्टेबल जल सुविधा के बिना परिवारों की संख्या 46% है, पोर्टेबल जल को बुनियादि सुविधा के रुप में विचार करते हुए, प्रशासन शेष परिवारों तक शीघ्र पोर्टेबल जल सुविधा प्रदान करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर सकता है।

9. बिंदु 50 के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) (अनुलग्नक – बी) के तहत, हालांकि जिले के 705 लाख का आवंटन किया गया था लेकिन जिले में एसटी के कल्याण के लिए कोई भी राशि खर्च नहीं किया है। इस संबंध में जिला प्रशासन स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, सावित्रिवाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.15 करोड़ रुपए में से 1.59 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया गया था। इस निधि के उपयोग को प्रभाव-शीलता के बारे में प्रश्न उठता है तथा जिला प्रशासन से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। बेहतर योजना और कार्यान्वयन रण-नितियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवंटित निधियों का प्रभावी रुप से उपयोग अनुसूचित जनजाति समुदाय के वांछित लाभार्थियों के लाभ के लिए किया जा सके।

10. बिंदु 55 (बी) के संदर्भ में, आयोग ने सलाह दिया कि जिला प्रशासन सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और नगरपालिकाओं सहित सरकारी विभागों द्वारा इन रोस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करे।

11. आयोग ने सिकल सेल एनीमिया (एससीए) के लिए जांच आयोजित करने हेतु जिला प्रशासन की सराहना किया तथा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जांच को बढ़ावा देने की सलाह दिया। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों / सीएचओ की उपलब्धता का आकलन करने और दवाओं और चिकित्सा

उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), समुदायिक स्वास्थ्य के (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) का निरीक्षण कर सकता है।

12. सहकारी समितियां खूंटी के लिए लाह उत्पादन के लिए सहकारी समितियां बना सकती हैं और अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) / आर एसईटीआई और श्रम संसाधन विभाग (एलआरडी) के सहयोग से चूड़ी बनाने के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम / उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान कर सकती है। इस पहल से स्थायी आजीविका के अवसर का सृजन, स्थानीय शिल्प कौशल को प्रोत्साहन तथा खूंटी जिले के एसटी समुदाय की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगी।

13. मत्स्य विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि मछली पकड़ने के कृत्रिम तालाब के निर्माण द्वारा अनुसूचित जनजाति के गाँवों में एक व्यवहार्य आजीविका के अवसर के रुप में स्थापित हो।

14. वन विभाग दूर-दराज के गांवों में नेटवर्क टावर के स्थापना के वन क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है जब नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा अनुरोध किया जाता है। कृषि उत्पादकता के संरक्षण के उद्देश्य से कृषि योग्य भूमि को स्थानांतरित करने से बचा जा सके और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय अनुसूचित जनजाति समुदाय अपने कृषि संसाधनों को बनाए रखे।

15. जिला प्रशासन झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए) के साथ समन्वय कर उन क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत स्रोत के रुप में और ऊर्जा का संवर्धन कर सकता है जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है। यह पहल विश्वसनीय ऊर्जा पहुंच प्रदान करने, जीवन स्तर में सुधार लाने और दूर – दराज और वंचित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक है।

जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा खूंटी जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

***

उपस्थिति पंजी- अनुसूचित जनजातियों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

दिनांक - 01-07-2024.

क्रं सं.	नाम और पदनाम	स्थान
1.	डॉ० आशा लकड़ा, माननीया सदस्य	
2.	श्री के० ताऊथाँग, संयुक्त सचिव	
3.	श्री पी० के० दास, अनुसंधान अधिकारी	
4.	श्री मनीष राज, वरिष्ट अन्वेषक	
5.	श्री राहुल यादव, कानूनी सलाहकार	
6.	परजा मुंडा	ग्राम-अडकी
7.	लीलू पहान	चित्रामु खूंटी
8.	सुदम मुण्डा	सिरुम खूंटी
9.	भीम सिंह मुण्डा	ताड़ो
10.	जामुन सिंह मुण्डा	हेठगोवा
11.	लेपो मुंडा	गरमारा
12.	जम्बी देवी	चालम खूंटी
13.	अनिता नाग	सिम्बुकेल
14.	गीता कुमारी	चालम खूंटी
15.	सरोज तिडू	तिरला खूंटी
16.	तारा देवी	बगरू खूंटी
17.	नारू मुण्डा	महुआटोली खूंटी
18.	निरा हास्सा	महुआटोली खूंटी
19.	महादेव मुण्डा	सलगाडीडीह

20.	गोपाल पहन	सम्य्सोय
21.	मुचीराय मुण्डा	तेलाडीह
22.	जयनाथ मुण्डा	चांदीडीह खूंटी
23.	निखिल कुंडूलाना	रनिया प्रखंड
24.	मानसिंह बोदरा	मुरहु
25.	विनीता तिर्की	खूंटी
26.	विनीता गुडिया	खूंटी
27.	संजू देवी	खूंटी
28.	सुरेखा कुमारी	खूंटी
29.	निरूपा देवी	खूंटी
30.	कितनी नाग	खूंटी
31.	छोटाराय मुण्डा	मुरहु
32.	बहला पाहन	बुंडू
33.	छोटाराय मुण्डा	खूंटी
34.	खाक्मिला सारु	खूंटी
35.	रानी टूटी	खूंटी
36.	बेरनादेत टूटी	खूंटी
37.	भोज नाग	खूंटी
38.	वासमती देवी	खूंटी
39.	पूनम भेंगरा	तोरपा
40.	गन्दोरी गुडिया	तोरपा

उपस्थिति पंजी- जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक

दिनांक - 01-07-2024.

क्रं सं.	**नाम और पदनाम**	**स्थान**
1.	डॉ. आशा लाकड़ा, माननीया सदस्य	
2.	श्री के. टाउथांग, संयुक्त सचिव	
3.	श्री पी.के.दास, शोध अधिकारी	
4.	श्री मनीष राज, वरिष्ठ अन्वेषक	
5.	श्री राहुल यादव, कानूनी सलाहकार	
6.	लोकेश मिश्रा, डीसी	खूंटी
7.	अमर कुमार, एसपी	खूंटी
8.	प्रमोद राम, डीडब्ल्यूओ खूंटी	खूंटी
9.	एसडी रहीद एलेस, डीपीआरओ	खूंटी
10.	बालन कुमार सिंह	एलएस खूंटी
11.	सरोज कुमार, कार्यकारी अभियंता, एचआईडी खूंटी	कार्यकारी अभियंता, एचआईडी खूंटी
12.	संतोष लकड़ा, जिला कृषि अधिकारी	जिला कृषि अधिकारी
13.	सागर प्रताप, ईएक्स एनआरईपी खूंटी	ईएक्स एनआरईपी खूंटी
14.	कुंदन कुमार, डीपीओ	डीपीओ-खूंटी
15.	जया एस मुरमु	सीओ खूंटी

16.	योन कुमार, बीडीओ	बीडीओ खूंटी
17.	नलिनी रायन	एडीपीओ. खूंटी
18.	अपारूपा पी चौधरी	डीईओ, खूंटी
19.	सुमन सिंह	डीएसडब्ल्यूओ खूंटी
20.	निरु कुमारी	जिला रोजगार अधिकारी खूंटी
21.	मिवाक्षी भगत	कार्यकारी मजिस्ट्रेट खूंटी
22.	एम.डी. पांडे	डीएलएओ खूंटी
23.	एल.आर.एन. मांझी	सिविल सर्जन खूंटी
24.	आलोक एस कच्छप	पीडी आईटीडीए
25.	श्याम नारायण राम	डीओसी खूंटी
26.	शंकर कुमार विद्यार्थी	सीओ मुरहू
27.	सुकमन मरांडी	बीडीओ मुरहू
28.	एस.के. दिवाकर	ईई डीडब्ल्यूएसडी
29.	एस.के. दुबे	एलडीएम खूंटी
30.	बिमलेश के. शुक्ला	डीपीएम जेएसएलपीएस
31.	लिपिका बनर्जी	
32.	डॉ. तीरा तिर्की	डीएएचओ
33.	राजेश भंडारी	डीएचओ
34.	कमलदीप गुरु	एआरईएस
35.	नमन पूस्वात सोरेन	एससीओ खूंटी

36.	राजीव रंजन	जीएम डीएफसी खूंटी
37.	धीरेंद्र कुमार	फॉर डीएसई खूंटी
38.	जेम्स कुजूर	इलेक्टिनल इंजीनियर
39.	सुरेश प्रसाद	बीएसएनएल
40.	बलदेव भारती	सीओ रस्ता
41.	रजनीकांत	एपीओ डीआरडीए
42.	अरविंद कुमार ओझा	डीसीएलआर
43.	अमरनाथ भगत	एसीएफ खूंटी
44.	ब्रजेश कुमार	आरएच डीएचएफटी
45.	संतोष कुमार रॉय	एई आरएमडी खूंटी
46.	अजय राम	एई आरडब्ल्यूडी खूंटी
47.	राजेश कुमार	डीयूएसपी खूंटी
48.	पवन कुमार	डीपीआरओ